प्र.सं. 158/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.5.18 पत्रावली मुकाम करेड़ापर स्थायी लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। आवेदक उपस्थित आया। वादी पक्ष द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम करेड़ा खातौनी संख्या 1220 में अंकित 4.17 बीघा भूमि प्रतिवादीगण गोकुल, जगदीश, सोहनी, ~~[illegible]~~, जो नाथी के वारिसान है तथा इसी प्रकार रमेश, गोरधन, कैलाश, तुलसीराम, सुरेश, शंकर, प्रकाश एवं डाली जो कि नोलाजी के उत्तराधिकारी है के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। विवादग्रस्त 4.17 बीघा भूमि प्रतिवादी गणों को विरासत दर विरासत प्राप्त हुई है। तथा वादी स्वर्गीय नाथजी एवं नोलाजी की सन्तान है तथा स्वयं जी की जाईन्दा संतान है। स्व० स्वयं जी की विरासत पर नोला एवं नाथजी के साथ-2 वादी नेता के नाम भी नामान्तरण पारित होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मियों की भूल वश ऐसा नहीं होने से वादी को वाद पत्र बाबत शोधनात्मक विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना पड़ा। चौपाल में उपस्थित पेशकार सरकार द्वारा भी वादी के कथन को सही बताया जाकर कोई प्रतिरोध पेश नहीं किया।	मांगीलाल शान्ति लाल संपत्ती जगदीश रमेश कैलाशलाल

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	प्र० क्र. 156/17 वाद	

प्रतिवादीगण एवं वादी आपस में सगे काका-भतीजा हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के वाद पत्र का समर्थन करते हुए आपसी राजीनामा पत्र प्रपत्र प्रस्तुत कराया है। जिसे शा० का० किया गया। मुताबिक राजीनामा प्रपत्र वादी का वाद पत्र स्वीकार करना चाहा गया अनुतोष प्रदान करने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से वादी का वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 स्वीकार राजीनामे के आधार पर किये जाने के साथ-2 वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की न्यायालय द्वारा उद्‌घोषणा की जाती है।

: आदेश :

वादी का वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 राजीनामे के आधार पर स्वीकार किये जाने से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के कारण मौजा करेड़ा स्थित आ० नं० 4737, 4739, 4740, 4745 कुल किता 04 रकबा 4.17 बीघा जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 011 के नाम दर्ज रिकार्ड है में वादी को 1/3 हक हिस्सा होने के कारण वादी संख्या 01 के उत्तराधिकारी 1/1 एवं 1/2 का समानुपात में हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) प्र.क्र. 156/17 वाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली बाद जरिये रजिस्टर के कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ......करेड़ा......

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- ......

उनवान

...... बनाम ......

दावा बाबत् ......

मुकदमा नम्बर :- 158/17 रा०वाद

निर्णय दिनांक :- 21/5/18

वादी की ओर से ...... की व प्रतिवादी की ओर से ......

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/5/18 को ......(नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी ......करेड़ा...... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

[illegible]

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शेष विवरण पृष्ठ पर है।

( )

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ......

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अन्तगत उ0अ0 158/172

श्री नंदा S/o श्री रूपा रेगर नि० करेड़ा हाल में फौत
मुकामे
1/1 श्री शान्तिलाल पु० श्री नंदा रेगर नि० करेड़ा
1/2 श्रीमती प्रेमी D/o श्री नंदा. W/o श्री रमेश रेगर नि० करेड़ा हाल जगदीश, चौकड़ी तह करेड़ा
— वादीगण।

बनाम

1- मांगू पु० श्री नंगा जी रेगर नि० करेड़ा।
2- जगदीश पु० श्री नंगा जी रेगर नि० करेड़ा।
3- श्रीमति सोहनी W/o श्री नंगा जी रेगर नि० करेड़ा
4- रमेश S/o श्री नैना रेगर नि० करेड़ा।
5- गोरधन S/o श्री नैना रेगर —
6- कैलाश पु० श्री नैना रेगर —
7- तुलसीराम पुत्र श्री नैना रेगर —
8- सुरेश पु० नैना रेगर नि० करेड़ा
9- शंकर पु० श्री नैना रेगर ना०बा० जरिये माता श्रीमति गाली W/o श्री नैना रेगर नि० करेड़ा
10- प्रकाश S/o श्री नैना रेगर ना०बा० जरिये माता गाली W/o श्री नैना रेगर नि० करेड़ा
11- श्रीमति गाली W/o श्री नैना रेगर नि० करेड़ा तह करेड़ा
12- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा० करेड़ा
— प्रतिवादीगण।

आदेश

सं० 1 के उत्तराधिकारी 1/1 एवं 1/2 का समानुपात में हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner